न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
16/19	एफएसएस एक्ट, 2006	03/05/2019

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. विक्रमपाल सिंह पुत्र श्री शेरपाल सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी अमरदास की बगीची नसीयां कॉलोनी गंगापुर सिटी (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक मैसर्स कमलेश एजेन्सी अमरदास की बगीची नसीयां कॉलोनी गंगापुर सिटी ।
2. पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल वार्ड नं0 17 सिंधी कॉलोनी नदबई भरतपुर राजस्थान 321602 (प्रो0) मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज मैन मार्केट कटरा नदबई जिला भरतपुर।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः— 20.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 29.05.2018 को समय 03:00 पी0एम पर मैसर्स कमलेश एजेन्सी अमरदास की बगीची नसीयां कॉलोनी गंगापुर सिटी के गोदाम पर पहूँचा वहां पर श्री विक्रमपाल सिंह पुत्र श्री शेरपाल सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी अमरदास की बगीची नसीयां कॉलोनी गंगापुर सिटी उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता का परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **Continental Souce goldie** 1 किलोग्राम की बोतलें रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ **Continental Souce goldie** 1 किलोग्राम की 4 बोतले वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 200/— रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये पदार्थ **Continental Souce goldie** 1 किलोंग्राम की चारों बोतलों को लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार कर जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना बोतल पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना बोतलों को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लीप कमांक एच– 1403 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षरक कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षकर कर चारों नमूने भागो को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोधा बार्ड बॉय द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/18/3495 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 349/एफएसएसए/एक्ट/2018/393 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Continental Souce goldie** मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 349/एफएसएसए/एक्ट/2018/393 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।अभियुक्तगण ने अपना पक्ष [illegible] जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण सं0 1 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 2 से प्राप्त असल बिल के आधार पर शुभ गोल्डी मसाला प्रा0लि0 हैड ऑफिस गोल्डी हाऊस ,51/40 नयागंज कानपुर को पक्षकार बनाया जावे तथा अभियुक्त सं0 एक के वकील ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 1 एक छोटा दुकानदार है तथा बड़ी फर्मो से माल कय कर उसी अवस्था में माल का विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट का कार्य नहीं किया जाता है, साथ ही प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 2 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त परिवाद पत्र मियाद सीमा से बाहर पेश किया गया है। उक्त सैम्पल दिनांक 29.05.2018 को लिया जाना व जांच रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018 को को प्राप्त होना व परिवाद पत्र दिनांक 31/5/2019 को पेश किया गया है। जो कि मियाद बाहर पेश किया गया है, साथ ही अभियुक्त सं0 2 ने उक्त परिवाद खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्रांक 3550 दिनांक 05.07.2018 व 3122 दिनांक 29.08.2018 के द्वारा अभियुक्त सं0 1 से कय बिल की प्रति व पत्रांक 3261 दिनांक 18.09.2018 व 3904 दिनांक 05.10.2018 , 4131 दिनांक 15.11.2018 , 378 दिनांक 13.02.19 , 575 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा अभियुक्त सं0 2 से कय बिल की प्रति चाही गई थी लेकिन अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा शुभ गोल्डी मसाला प्रा0लि0 हैड ऑफिस गोल्डी हाऊस ,51/40 नयागंज कानपुर द्वारा कय बिल की प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करवायी गई थी। अब अभियुक्त सं0 1 द्वारा प्रकरण में बिलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो निरस्त योग्य प्रतीत होने के कारण अभियुक्त सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनाया जाने का निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त सं0 2 ने अपनी बहस में उक्त परिवाद मियाद सीमा से निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार समय सीमा 1 वर्ष है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समय सीमा में ही प्रस्तुत करना पाया जाता है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 349/एफएसएसए/एक्ट/ 2018/393 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 व 2 को पृथक-पृथक रूप से 5000-5000 (पांच-पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 20/5/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-